प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय का नाम (तहसीलदार खाचरौद)

प्रमाणित किया स्थानीय निवासी पर

Ch - Intelliging and - da		
क्रमांक 605	o) .	दिनांक. २.७१४) २०००
प्रमाणित किया र	जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी'''/द	त्या वर्षात्या
आत्मज/आत्मजा/पति	ा <i>अभय</i> कुमार् निवार्स	123 स्नीनिया रूम उगर्ज हाउ
वित्र मालों ती (वापर	ाँद्र जिला <u>३० ज</u> िल	राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के
	निर्धारित मापदण्ड की निम्न कंडिका ब्र	
क्रं	करने के कारण मध्यप्रदेश के स्थानीय	निवासी है।
असिलिय	अहर हो है	
	क्रवरा 13 नाह तवा वैध	हस्ताक्षर, पदेनीम एवं मुद्रा
		**
· ·		Topological

मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी के मापदण्ड

- वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है / हुई है 1.1
- वह स्वयं अथवा उसका पालक/वैद्य अभिमावक मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरंतर रह रहा है अथवा 1.2
- उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवा निवृत्त कर्मचारी है अथवा 1.3
- उसके पालकों मे से कोई मध्यप्रदेश में सेवारत केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है अथवा 1.4
- वह स्वयं/उसके पालक का राज्य में पिछले पांच वर्षों से अचल संपत्ति/उद्योग/व्यवसाय है, एवं इसके अतिरिक्तः 1.5
- उसने मध्यप्रदेश राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे जिले जो वर्तमान 🗆 मध्यप्रदेश राज्य के 2.1 अंतर्गत आते है में स्थित शिक्षण संस्था से कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की है, अथवा
- यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए या शासन के अधीन सेवा के लिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्घारित हो तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8 वीं की कक्षा की परीक्षा एवं यदि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी बोर्ड कीइन्टरमिजिएट, हायर सेकेण्डरी या कोई समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो,तो 8 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा
- अन्य मामलों में पांचवी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। 2.3 परंतु उपरोक्त शर्त क्रमांक 2.1 से 2.3 मध्यप्रदेश से शिक्षा संबंधी शर्त निम्न परिस्थिति होने के कारण लागू नही है:-
- वह अंघ/मूक/बिधर है एवं उसके द्वारा प्रदेश के बसहर से शिक्षा ग्रहण की गई है, अथवा
- वह ऐसे व्यक्ति की संतान है जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की परीभाषा के अंतर्गत आता है एवं सैनिक सेवा के कारण मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ रहा है अथवा
- वह मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हेतु निर्धारित उपरोक्त शर्त क्रमांक 1.2 की पूर्ति करते है एवं
- 3.3.1 वह अशिक्षित है, अथवा
- 3.3.2 मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति की संतान है एवं उनके द्वारा मध्यप्रदेश के बाहर शिक्षा ग्रहण की है।
 - वह निम्नलिखित प्रवर्ग का होने के कारण मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी है :-
 - 1मध्यप्रदेश को आवंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों /कर्मचारियों की संतान /पत्नी /पति है अथवा
 - 2 मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी का मापदण्ड पूरा करने वालो की पत्नी/पति है अथवा
 - 3 मध्यप्रदेश में संवैधानिक या विविध पदों पर महामहिम राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की संतान/पत्नी/ पति है।